

कार्यालय संयुक्त निदेशक उद्यान अनुसंधान केन्द्र, पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर-263145
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक : एच0आर0सी0/85

दिनांक : 22/05/2024

नीलामी सूचना


विगत वर्षों की भौति उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अमरूद एवं आम के कुछ छोटे उम्र के बाग की बिक्री दिनांक 12.06.2024 के अपराह्न 02.30 बजे खुली बोली/निगोसिएशन के माध्यम से नीलामी आयोजित की जायेगी।

नीलामी की शर्तें :-

1. बाग का ठेका लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार दिनांक 12.06.2024 को केंद्र कार्यालय में प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक धनराशि ₹0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार अमरूद एवं आम बागों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें, बागों की बिक्री के पश्चात् किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता द्वारा धरोहर धनराशि के रूप में जमा किया गया ₹0 20,000.00 के बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट/नकद धनराशि को बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी, किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में नीलामी समाप्ति के पश्चात् जमा करना होगा। इस धनराशि में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 20,000.00 को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि उच्चतम बोलीदाता 40 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है, तो नीलामी में भाग लेने हेतु जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 20,000.00 को जब्त कर लिया जायेगा एवं ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त ठेकेदार को उक्त की सूचना डाक द्वारा दी जायेगी। सूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व, जो भी पहले हो, उच्चतम बोली गयी धनराशि का 40 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी। इस धनराशि में पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 20,000.00 को समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि ठेकेदार निश्चित दिनांक तक 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है तो वह 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के साथ अगले एक माह तक धनराशि जमा कर सकता है। यदि फिर भी ठेकेदार 40 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करता है, तो ठेका निरस्त करने से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि (₹0 20000+40 प्रतिशत धनराशि) को जब्त कर लिया जायेगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम बोली गयी धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करनी होगी। ठेका समाप्ति पर नियमानुसार उक्त धनराशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी।
9. ठेकेदार को तृतीय किस्त/अंतिम किस्त 20 प्रतिशत धनराशि फल तोड़ने से पहले जमा करनी होगी। तृतीय किस्त/अंतिम किस्त में ठेकेदार द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि ₹0 20,000.00 को समायोजित कर लिया जायेगा।
10. बोलीदाता को उच्चतम बोली धनराशि की सभी किस्तों का भुगतान आर0टी0जी0एस0/ड्राफ्ट/बैंकर चैक के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। नकद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
12. शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को देनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु पूरी मात्रा केंद्र को नहीं दी जाती है तो शेष मात्रा की भरपाई हेतु धनराशि ठेकेदार को नकद जमा करनी होगी। ठेकेदार द्वारा नकद धनराशि न जमा किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई सुरक्षा धनराशि से उक्त की कटौती की जायेगी।

लाट सं०.	फल बाग का नाम	प्रक्षेत्र संख्या	क्षेत्रफल/बाग का विवरण	शोध कार्य/बीजू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से विक्री हेतु	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के भ्रमण के समय वृक्ष से फल तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
लाट सं०-1	अमरुद एवं आम बाग	4बी	<ul style="list-style-type: none"> अमरुद: कुल 895 वृक्ष (205 वृक्ष, आयु लगभग 10-12 वर्ष, 610 वृक्ष, आयु लगभग 05-06 वर्ष तथा 80 वृक्ष, आयु लगभग 03-05 वर्ष) आम (लेवर कॉलोनी में स्थित (जिन कर्मियों की झोपड़ी टुट चुकी है उस प्रक्षेत्र में स्थित खड़े 63 वृक्ष एवं 4A प्रक्षेत्र में आम के 40 वृक्ष, आयु लगभग 9 वर्ष) 	अमरुद फल 300 कि०ग्रा० आम फल 50 कि०ग्रा०	100 फल 50 फल
लाट सं०-2	अमरुद बाग	5, 6बी, 6सी, 12बी	<ul style="list-style-type: none"> अमरुद (कुल 392 वृक्ष आयु लगभग 08 वर्ष) 	अमरुद फल 300 कि०ग्रा०	100 फल
लाट सं०-3	अमरुद एवं आम बाग	96 न०	<ul style="list-style-type: none"> अमरुद: कुल 825 वृक्ष (525 वृक्ष, आयु 7 वर्ष से अधिक के तथा 300 वृक्ष आयु लगभग 4-6 वर्ष) आम: वर्तमान समय में लगें कुल 110 वृक्षों में फल, आयु लगभग 07 वर्ष 	अमरुद फल 300 कि०ग्रा०	100 फल

13. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रू० 100/- के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
14. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है तो ठेकेदार से उचित जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
15. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केंद्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केंद्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
16. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। उक्त सिंचाई हेतु ठेकेदारों को बिजली का मीटर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
17. ठेकेदार को बाग की सफाई, फसल सुरक्षा, रोग, कीड़ों से बचाव तथा फलों की तुड़ाई, दुलाई आदि कार्य स्वयं करने होंगे। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक, कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
18. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
19. ठेकेदार को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
20. ठेकेदार अथवा उसके कर्मियों द्वारा केंद्र या विश्वविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुँचाने की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
21. ठेकेदार द्वारा फल ही तोड़े जायेंगे, पेड़ों की टहनियों को नहीं तोड़ा जायेगा यदि क्षति पहुँचाने की दशा में क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार के स्वयं का होगा।
22. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद में माननीय कुलपति जी अथवा उनके नामित द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. अमरुद एवं आम बागों के ठेके की अवधि दिनांक 30.03.2025 तक होगी।


 (ए०के०सिंह)
 Joint Director
 H.R.C. Patharchaita